राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रुप–3)

क्रमांकः एफ.4(4)ग्रावि / नरेगा / सा.अं. / 2009–19 / 367 जयपुर, दिनांकः 13.1.2010

जिला कलक्टर एवं
जिला कार्यक्रम समन्वयक (नरेगा),
राजसमन्द

विषयः– ग्राम पंचायत समेलिया, पंचायत समिति भीम, राजसमन्द के लेखों एवं कार्यों के माह दिसम्बर, 2009 में किए गए विशेष जांच प्रतिवेदन पर कार्रवाई कराने बाबत।

महोदय,

राज्य सरकार के आदेश एफ.4(4)ग्रावि / नरेगा / सा.अ. / 2009–10 दिनांक 18.12.2009 के द्वारा ग्राम पंचायत समेलिया, पंचायत समिति भीम, जिला राजसमन्द द्वारा दिनांक 1.4.2008 से 30.11.2009 तक नरेगा योजना अन्तर्गत किए गए एवं करवाये जा रहे कार्यों एवं लेखों तथा व्यय की विस्तृत जांच हेतु विशेष जांच दल श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर, संयुक्त निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण के नेतृत्व में गठित किया गया था। इस जांच दल ने दिनांक 23.12.2009 से 28.12.2009 तक ग्राम पंचायत के अभिलेख एवं कार्यों का भौतिक सत्यापन करके जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न की जा रही है।

उक्त जांच प्रतिवेदन में दर्शाई गई अनियमितताओं पर आपके स्तर पर निम्नानुसार कार्रवाई की जानी है:–

1. राशि की वसूली एवं कानूनी कार्रवाई–

क्र. सं.	अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	राशि रू.	प्रस्तावित कार्रवाई
1.	22 निर्माण कार्यों में मौके पर भौतिक सत्यापन के दौरान वास्तविक माप एवं माप पुस्तिका में दर्ज माप में अन्तर के कारण	5,15,326 /–	प्रतिवेदन के अनुसार अधिक मूल्यांकन दर्शाकर राजकीय राशि का अनियमित एवं फर्जी भुगतान करने के लिए श्री शलभ टंडन, कनिष्ठ अभियंता, पंचायत समिति, भीम, श्री रतनलाल जैन, सरपंच,

	अनियम्ति रूप से अधिक भुगतान किया गया		श्री आस मोहम्मद अंसारी, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव उत्तरदायी हैं। इसके लिए निम्नांकित कार्रवाई की जावे:- 1. इस राशि की इन तीनों कर्मचारियों/राजसेवकों से बराबर अनुपात में वसूली की जानी चाहिए। इसके लिए जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद पंचायती राज अधिनियम की धारा 111(2) के अनुसार वसूली सुनिश्चित कराके दिनांक 31.3.2010 तक पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। 2 विशेष जांच रिपोर्ट के आधार पर इन तीनों के विरूद्ध पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जावे तथा जिला कलक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद इन रिपोर्ट्स के निर्णायक स्तर पर पहुंचने तक फॉलोअप करें। 3. कनिष्ठ अभियंता एवं ग्राम सेवक के विरूद्ध इनके संबंधित सेवा नियमों के अन्तर्गत वृहद् शास्ति (Major penalty) के लिए सक्षम प्राधिकारी के स्तर से आरोप पत्र जारी किए जावें तथा सरपंच श्री रतन लाल जैन, को पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार सरपंच पद के लिए अयोग्य घोषित कराये जाने की कार्रवाई की जावे।
2.	ग्राम पंचायत द्वारा 22 निर्माण कार्यों में कनिष्ठ अभियंता द्वारा जांच कार्य के दौरान माप पुस्तिका में दर्ज मूल्यांकन राशि से अधिक का भुगतान रोकड़ बही में किया जाकर राशि रू. 6,31,810/- का गबन	6,31,810/- (नोट- यह राशि निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत के खाते में जमा करा दी गई हैं: रूपये 3,43,720 दि. 18.11.09	1.प्रतिवेदन के अनुसार इस अनियमितता के लिए श्री रतनलाल जैन, सरपंच, श्री आस मोहम्मद अंसारी, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव उत्तरदायी हैं। इस अनियमितता के लिए इन दोनों के विरूद्ध पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जावे। 2.ग्राम सेवक के विरूद्ध संबंधित सेवा नियमों के अन्तर्गत वृहद् शास्ति (Majo

	किया गया है।	को एवं रूपये 2,88,090/- दि.27.12.09 को	penalty) के लिए सक्षम प्राधिकारी के स्तर से आरोप पत्र जारी किया जावे तथा सरपंच श्री रतन लाल जैन, को पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार सरपंच पद के लिए अयोग्य घोषित कराये जाने की कार्रवाई की जावे।
3.	वर्ष 2009–10 में चार निर्माण कार्यों में मूल्यांकन पश्चात माप पुस्तिका में दर्ज भुगतान योग्य राशि से अधिक राशि का भुगतान किया गया रू. 2,94,760/- इन चार कार्यों में से तीन कार्य मौके पर पूर्ण हो चुके हैं सिर्फ एक कार्य प्रगति पर है। इन चारों कार्यों में से किसी का भी उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है।	2,94,760/-	1. इन चार कार्यों पर मूल्यांकन के अनुसार व्यय की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी कराये जावें। 2. निर्माण कार्यों की माप पुस्तिका में दर्ज भुगतान योग्य राशि से अधिक राशि का अनियमित भुगतान करने के लिए श्री रतनलाल जैन, सरपंच, श्री आस मोहम्मद अंसारी, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव उत्तरदायी हैं। श्री आस मोहम्मद अंसारी के विरूद्ध वृहद् शास्ति (Major penalty) हेतु विभागीय कार्रवाई की जावे तथा श्री रतन लाल जैन, सरपंच, को पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार सरपंच पद के लिए अयोग्य घोषित कराये जाने की कार्रवाई की जावे। 3. राशि रू. 2,94,760/- की श्री रतन लाल जैन सरपंच एवं श्री आस मोहम्मद अंसारी, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव से बराबर अनुपात में वसूली की जावे।
	वसूली योग्य राशि क्र.सं. 1 से 3 का योग	14,41,886/-	

नोट– कुल राशि रू. 14,41,886/- में से राशि रू. 6,31,810/- वसूल की जा चुकी है तथा शेष राशि रू. 8,10,076/- वसूल की जानी है।

2. मै. जय भैरूनाथ, कृषि फार्म, पालरा के गिट्टी, पत्थर, रेती के 15 बिल राशि रू. 3,08,700/– के विभिन्न निर्माण कार्यों की पत्रावलियों में लगे हुए हैं। यह फर्म अस्तित्व में नहीं है एवं इसके द्वारा जारी किये गये बिल संदेहास्पद एवं फर्जी हैं। अतः मै. जय भैरूनाथ के संदिग्ध बिल राशि रू. 3,08,700/– का भुगतान नही किया जावे।

3. माप पुस्तिका में क्रमांक एन.08, एन.एस.–I एवं एन.34 ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति की रिपोर्ट के अनुसार अनियमित रूप से जारी करवाई गई हैं। एक माप पुस्तिका ग्राम पंचायत ने बाजार से क्रय की है और दो माप पुस्तिकाओं के जारी करने बाबत विकास/कार्यक्रम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। माप पुस्तिकाएं कनिष्ठ अभियंता श्री शलभ टंडन द्वारा उपयोग में ली जा रही हैं। इनकी विस्तृत जांच करवा कर उत्तरदायी कार्मिक/जन सेवक के विरूद्ध कार्रवाई की जावे। साथ ही माप पुस्तिका, रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर बाजार से खरीदने के स्थान पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.4 (40) आरडी/ नरेगा/ ट्रें/ स्टेट/09–10 दिनांक 23.10.2009 के अनुसार जिला परिषद स्तर से ही मुद्रित एवं क्रमांकितकर ग्राम पंचायतों को जारी कराया जाना सुनिश्चित करावें।

4. ग्राम पंचायत द्वारा अपंजीकृत फर्मों से गिट्टी, रेती, ग्रेवल, पत्थर का क्रय किया गया। नियमानुसार निर्माण सामग्री की खरीद रजिस्टर्ड फर्म/विक्रेता (आरएसटी/सीएसटी/टिन होल्डर) से की जानी चाहिए थी। गाम पंचायत द्वारा 1.4.2008 से 30.11.2009 तक क्रय की गई निर्माण सामग्री के बिलों का विवरण वाणिज्यिक कर विभाग को भिजवाकर वेट की वसूली की कार्रवाई करवाई जावे।

5. ग्राम पंचायत द्वारा स्टॉक रजिस्टर संधारण में अनियमितता की गई है जिसके लिए आप द्वारा इस विभाग को प्रेषित जांच रिपोर्ट दिनांक 20.12.2009 में कार्यों पर सामग्री क्रय एवं वास्तविक उपयोग में भारी अन्तर दर्शाया गया है एवं इस अन्तर के परिणामस्वरूप राशि रू. 19,59,864/– वसूली योग्य बताई गई है। स्टॉक रजिस्टर में दर्ज सामग्री स्टोर में उपलब्ध सामग्री एवं विभिन्न कार्य स्थलों पर सामग्री के आपस में हस्तान्तरण के संबंध में विस्तृत जांच एवं तथ्यों का सत्यापन करवाया जाकर राशि की वसूली की नियमानुसार कार्रवाई की जावे।

6. इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा नरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर (Asset cum cumulative expenditure register) में भी कार्यवार प्रति पखवाड़ा व्यय राशि का संधारण नहीं किया गया है जिससे निरन्तर व्यय राशि का क्रमिक एकीकरण होकर जानकारी मिलती रहे। इस संबंध में राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक एफ.

Page 4 of 6

4(40)आरडी/नरेगा/ट्रे/स्टेट/09–10 दिनांक 23.10.2009 के अनुसार जिले की सभी ग्राम पंचायतों में संधारित कराया जाना सुनिश्चित करावें।

7. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.4(42)/ग्रावि/नरेगा/ग्रुप–III/06–07 दिनांक 22.3.2007 के द्वारा नरेगा कार्यों के निरीक्षण हेतु जिले के संबंधित अधिकारियों के लिए मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं। इस संबंध में पुनः परिपत्र क्रमांक एफ.4(29) ग्रावि/नरेगा/पार्ट–2/दिनांक 4.11.2009 के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। ग्राम पंचायत के अभिलेख की जांच के दौरान पाया गया कि जिला एवं पंचायत समिति के अधिकारियों द्वारा न तो कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया और न ही रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर सहित पंचायत के किसी भी अभिलेख का निरीक्षण ही किया गया, जिसके कारण कार्यों के मौके एवं अभिलेख में अनियमितताएं किये जाने से संबंधित कार्मिकों को प्रोत्साहन मिला है और नरेगा कार्यों का इच्छित पूर्ण लाभ गरीबों को नहीं मिल पाया है। अधिकारियों द्वारा निरीक्षण नहीं करने के कारण राशि का दुरूपयोग हुआ है।

8. शासन के स्तर से जिला एवं पंचायत समिति के स्तर से अधिकारियों द्वारा कार्यों एवं अभिलेख के निरीक्षण को प्रभावी बनाये जाने के संबंध में पूर्व दिशा–निर्देशों की निरन्तरता में प्रमुख शासन सचिव द्वारा समस्त जिला कलक्टर्स को पुनः पत्रांक एफ.4(29)आरडी/नरेगा/पार्ट–II/निरीक्षण दिनांक 29.12.2009 से आदेश जारी किये हैं, उनकी अनुपालना सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके लिए यह व्यवस्था की जावे कि जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा, प्रतिमाह 10 तारीख तक पिछले माह में जिला एवं पंचायत समिति के अधिकारियों द्वारा किये गये कार्यों के निरीक्षण का विवरण अधिकारी वार प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को अ.शा. पत्र के माध्यम से प्रेषित करें।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्रवाई कराकर एक माह की अवधि में बिन्दुवार प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।

भवदीय

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(सी.एस.राजन)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांकः एफ.4(4)ग्रावि/नरेगा/सा.अं./2009-19/ 367-71 दिनांकः 13.1.2010

प्रतिलिपि
1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर
3. आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस, शासन सचिवालय, जयपुर
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा जिला परिषद राजसमन्द को आवश्यक कार्रवाई हेतु।

13.1.2010

(बन्ना लाल)
निदेशक
सामाजिक अंकेक्षण

ग्राम पंचायत समेलिया, पंचायत समिति भीम, जिला राजसमन्द में ग्राम पंचायत द्वारा नरेगा योजनान्तर्गत दिनांक 1.4.2008 से 30.11.2009 तक किये गये/करवाये जा रहे कार्यो एवं समस्त व्यय की विस्तृत जांच का प्रतिवेदन

(जांच अवधि 23.12.2009 से 28.12.2009)

<u>प्रस्तावना:--</u>

प्रमख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक एफ.4(4) ग्रा.वि./नरेगा/सा.अं./2009-10 दिनांक 17/18.12.2009 द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों का एक जांच दल गठित किया गया:--

1. श्री महेन्द्र सिंह भूकर, संयुक्त निदेशक,
   निदेशालय सामाजिक अंकेक्षण, जयपुर
2. श्री मुकेश माहेश्वरी, अधिशाषी अभियंता,
   ई.जी.एस.
3. श्री एम.एल. कुमावत, क.लेखाकार
   निदेशालय सामाजिक अंकेक्षण, जयपुर

जांच दल ने मौके पर जाकर कार्यों का भौतिक सत्यापन किया तथा कार्यो से संबंधित अभिलेख की जांच की। जांच के समय श्री संजीव चौधरी, विकास अधिकारी, पंचायत समिति भीम, सुश्री गिरीजा सिंह, कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति भीम, श्री शलभ टण्डन, क. अभियंता, पंचायत समिति भीम, श्री रतनलाल जैन, सरपंच, ग्राम पंचायत समेलिया, श्री आस मोहम्मद अंसारी, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, समेलिया मौके पर साथ रहे।

दिनांक 26.12.2009 को श्री रामपाल शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक नरेगा जिला परिषद, राजसमन्द जांच दल के साथ रहे। श्री विरेन्द्र खमेसरा, अधि. अभियंता दिनांक 23.12.09 एवं 26.12.09 तथा श्री अनिल आचार्य, सहायक अभियंता दिनांक 26 एवं 27 दिसम्बर 2009 को जांच दल के साथ रहे। मौके पर माप एवं मूल्यांकन का कार्य श्री मुकेश माहेश्वरी, अधिशाषी अभियंता (तकनीकी अधिकारी) द्वारा श्री शलभ टण्डन, कनिष्ठ अभियंता पंचायत समिति, भीम के साथ किया गया।

वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 (30.11.09 तक) की अवधि में निर्माण कार्यों में हुई अनियमितताओं का सक्षिप्त विवरण

ग्राम पंचायत समेलिया, पंचायत समिति, भीम, जिला राजसमन्द में नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 (01.04.08 से 30.11.09 तक) की अवधि में कुल 74 निर्माण कार्य स्वीकृत हुए इन कार्यों के पेटे कुल राशि रूपये 254.38 लाख प्राप्त हुए इनमें से 40 कार्य पूर्ण हो चुके एवं 34 कार्य प्रगतिरत हैं।

अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	जांच टिप्पणी का विवरण	अनियमित भुगतान एवं संदिग्ध बिलों की राशि	वसूल की गई राशि	विवरण
1.	नरेगा कार्यों के मौके पर भौतिक सत्यापन के दौरान वास्तविक माप एवं माप पुस्तिका में दर्ज माप/मूल्यांकन में अन्तर के कारण अनियमित भुगतान	5,15,326/–		कार्यवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2 व 3 पृष्ठ संख्या 4 से 5 ......
2.	माप पुस्तिका में कार्यों के मूल्यांकन पश्चात् भुगतान योग्य दर्ज राशि एवं रोकड़ बही अनुसार किये गये भुगतान की राशि में अन्तर के कारण अधिक भुगतान 1. वर्ष 2008–09 2. वर्ष 2009–10	 6,31,810/– 2,94,750/–	6,31,810/–	कार्यवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट 3 व 4 पृष्ठ संख्या 6 से 9 ......
3.	मै0 जय भैरूनाथ कृषि फार्म, पालरा के निर्माण सामग्री के संदिग्ध बिल	3,08,700/–		कार्यवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट 5 पृष्ठ संख्या 9 से 10 ......

1. ग्राम पंचायत समेलिया में नरेगा योजनान्तर्गत पंजीकृत परिवारों का विवरण

(i) ग्राम पंचायत समेलिया, पंचायत समिति भीम, जिला राजसमन्द में नरेगा योजना अन्तर्गत पंजीकृत परिवारों का विवरण निम्नानुसार है :–

क सं	गांव का नाम	कुल परिवारों की संख्या (बीपीएल सर्वे 2000 के अनुसार)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	जोब कार्ड जारी की संख्या	जोब कार्ड	
					पूर्ण	अपूर्ण
1	तोतरी	418	695	695	685	10
2	पालरा	383	416	416	408	8
3	दहेडिया	153	186	186	179	7
4	समेलिया	145	183	183	178	5
	योग	1099	1480	1480	1450	30

(ii) ग्राम पंचायत समेलिया का वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के आय–व्यय एवं राशि समायोजन का विवरण:–

वर्ष	प्राप्त राशि			व्यय राशि			कुल समायोजन राशि	अवशेष राशि
	श्रम	सामग्री	कुल	श्रम	सामग्री	कुल		
2008–09	83.04	43.39	126.43	77.76	47.90	125.65	125.65	0.78
2009–10	84.48	43.47	127.95	55.85	55.49	111.34	--	127.95

2. जिला राजसमन्द, पंचायत समिति भीम एवं ग्राम पंचायत समेलिया में नरेगा के कार्यों से संबंधित पदस्थापित अधिकारियों /कर्मचारियों /जनसेवक का विवरण

दिनांक 1.4.2008 से 30.11.2009 तक नरेगा के संचालन हेतु कार्यरत अधिकारी /कार्मिक

क्र. सं.	पदनाम अधिकारी /कर्मचारी	नाम	पदस्थापन अवधि	विशेष विवरण
1	कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक	1 श्री आनन्द कुमार 2 श्री नवीन जैन 3 श्री ओंकार सिंह	13.05.06 से 29.06.08 30.06.08 से 30.12.08 31.12.08 से निरन्तर	
2	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक	1. श्री गुमान सिंह बारेठ 2. श्री रामचन्द्र धरमानी 3. श्री रामपाल शर्मा	07.05.07 से 08.09.07 09.09.07 से 02.03.09 02.03.09 से निरन्तर	
3	विकास अधिकारी	1. श्री महेश नाग (BDO) 2. श्री रूप लाल शर्मा (AEN) 3. श्री कैलाश लखारा (SDM) 4. श्री भूपेन्द्र जैन (BDO) 5. श्री दिनेश भार्गव (TDR) 6. श्री वरदा लाल सालवी (PO) 7. श्री संजीव चौधरी (BDO)	01.04.08 से 30.05.08 30.05.08 से 19.06.08 19.06.08 से 04.07.08 04.07.08 से 03.10.08 24.10.08 से 13.07.09 03.10.08 से 24.10.08 13.07.09 से 23.09.09 23.09.09 से निरन्तर	
4	कार्यक्रम अधिकारी	1. श्री महेश नाग (BDO) 2. श्री रूप लाल शर्मा (IEN) 3. श्री कैलाश लखारा (SDM) 4. श्री भूपेन्द्र जैन (BDO) 5. सुश्री गिरिजा सिंह (PO) 6. श्री दिनेश भार्गव (BDO) 7. श्री भंवरलाल कासोटिया (TDR) 8. श्री संजीव चौधरी (BDO)	01.04.08 से 30.05.08 30.05.08 से 19.06.08 19.06.08 से 04.07.08 04.07.08 से 03.10.08 24.10.08 से 18.11.08 11.09.08 से 19.07.09 03.10.08 से 24.10.08 20.07.09 से 22.09.09 22.09.09 से 20.10.09 20.10.09 से निरन्तर	सुश्री गिरिजा सिंह द्वारा 18.11.09 को चार्ज ग्रहण किया
5	अधिशाषी अभियन्ता, ई.जी.एस.	वीरेन्द्र खमेसरा	06.10.2009 से निरन्तर	
6	सहायक अभिन्यता / वरिष्ठ तकनीकी सहायक, पंचायत समिति	1. श्री गोविन्द चौधरी (STA)	05.04.2008 से निरन्तर	
7	कनिष्क तकनीकी सहायक	1. श्री शलभ टण्डन 2. श्री मुकेश कुमार मीणा	01.04.08 से 20.10.09 29.10.09 से निरन्तर	
8	सरपंच	1. श्री रतन लाल जैन	01.04.2008 से निरन्तर	
9	ग्राम सेवक एवं सचिव, ग्राम पंचायत	1. श्री आस मोहम्मद अंसारी	01.04.2008 से निरन्तर	
10	ग्राम रोजगार सहायक	1. श्री प्रभु सिंह रावत	15.04.2008 से 17.09.08	

ग्राम पंचायत समेलिया द्वारा नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2008-09 में 37 कार्य स्वीकृत कर करवाये गये एवं वर्ष 2009-10 में 37 कार्य करवाये जा रहे हैं।(परिशिष्ट-01(1-4)) स्वीकृत कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

कार्यों का विवरण	वर्ष 2008-09	वर्ष 2009-10
एनिकट निर्माण कार्य	18	9
चारागाह विकास कार्य	1	2
नहर निर्माण कार्य	3	0
खरंजा निर्माण कार्य	0	3
ग्रेवल/रास्ता निर्माण कार्य	15	17
व्यक्तिगत लाभ के कार्य	0	6
कुल कार्य	37	37

उक्त कार्यों में से जांच एवं भौतिक सत्यापन के समय वर्ष 2008-09 में स्वीकृत एवं करवाये गये 20 कार्यो एवं वर्ष 2009-10 में स्वीकृत एवं करवाये गये 6 कार्य सहित कुल 26 कार्यों की विस्तृत जांच की गई तथा मौके पर माप एवं मूल्यांकन किया गया। 9 कार्यों का केवल भौतिक सत्यापन किया गया।

3(अ) नरेगा कार्यों के मौके पर भौतिक सत्यापन के दौरान वास्तविक माप एवं माप पुस्तिका में दर्ज माप/मूल्याकंन में अन्तर के कारण अनियमित भुगतान राशि रूपये 5,15,326/-

जांच दल द्वारा ग्राम समेलिया में करवाये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन कर विस्तृत जांच की गई जांच के दौरान निम्नांकित 22 निर्माण कार्यों में मौके पर उपलब्ध कार्य के माप एवं माप पुस्तिका में दर्ज माप में अन्तर पाया गया-

क सं	निर्माण कार्य का नाम	मौके पर भौतिक सत्यापन एवं माप पुस्तिका में दर्ज अन्तर के अनुसार वसूली योग्य राशि (रूपयों में)			कार्य स्थल की तकनीकी अधिकारी तथा परीयोजना एवं विकास अधिकारी की आईटम वार रिपोर्ट (मय माप पुरितका की प्रति)	वसूली विवरण पत्र
		श्रम	सामग्री	योग		
1	2	3			4	5
1	वन्नी एनिकट निर्माण	7713	36280	45093	परि. 2 पृ.सं. 1 - 3	परि. 3 पृ.सं.2
2	डूंडिया थोरी एनिकट	5473	11526	16999	परि. 2 पृ.सं. 4 - 7	परि. 3 पृ.सं.3
3	बेर वाला एनिकट	3023	15613	18626	परि. 2 पृ.सं. 8 - 10	परि. 3 पृ.सं.4
4	भीलों की जमीन पर एनिकट	1465	7751	9216	परि. 2 पृ.सं. 11 - 14	परि. 3 पृ.सं.10
5	ओडों की बाण नाडी से मिट्टी निकालना, पक्का डण्डा करना	2009	10580	12589	परि. 2 पृ.सं. 15 - 17	परि. 3 पृ.सं. 11
6	देवनारायण की नाडी से मिट्टी निकालना	1556	2653	5209	परि. 2 पृ.सं. 18 - 20	परि. 3 पृ.सं. 12
7	केसरपुरा एनिकट निर्माण	5183	19560	24690	परि. 2 पृ.सं. 21 - 23	परि. 3 पृ.सं.6
8	मेघवंशी एनिकट निर्माण	4240	25827	30069	परि. 2 पृ.सं. 24 - 26	परि. 3 पृ.सं. 8
9	दहेडिया नहर निर्माण	1181 0	69274	81084	परि. 2 पृ.सं. 27 - 29	परि. 3 पृ.सं. 13
10	हनुमानजी के मंदिर से मैन सडक तक खरंजा निर्माण	5721	2501	8222	परि. 2 पृ.सं. 30 - 34	परि. 3 पृ.सं.1
11	कटियाला एनिकट	4059	8093	12152	परि. 2 पृ.सं. 35 - 37	परि. 3 पृ.सं.27
12	शमशानघाट की नाडी से मिट्टी निकालना एंव डण्डा बनाना	2685	12394	15079	परि. 2 पृ.सं. 38 - 40	परि. 3 पृ.सं. 29
13	नाली के नीचे एनिकट	5145	28780	33925	परि. 2 पृ.सं. 41 - 44	परि. 3 पृ.सं.28
14	जेलिया तालाब निर्माण	1322	5136	6458	परि. 2 पृ.सं. 45 - 47	परि. 3 पृ.सं.18
15	ओडो की बाण में दो चट्टानों के	9887	40315	50202	परि. 2 पृ.सं. 48 - 52	परि. 3 पृ.सं.30

16	वोच एनिकट जोधाणा एनिकट	2703	19701	22404	परि. 2 पृ.सं. 53-59	परि. 3 पृ.सं.5
17	भोपालसागर नहर निर्माण	6386	43418	49804	परि. 2 पृ.सं. 60-62	परि. 3 पृ.सं.22
18	उण्डी गली एनिकट	2402	16176	18578	परि. 2 पृ.सं. 63-66	परि. 3 पृ.सं.33
19	नदी में एनिकट निर्माण खेराटा	2129	1999	4128	परि. 2 पृ.सं. 67-71	परि. 3 पृ.सं.25
20	हीरातों का बाड़िया एनिकट	0	1410	1410	परि. 2 पृ.सं. 72-75	परि. 3 पृ.सं.31
21	डागला की नाल एनिकट	1805	8469	10274	परि. 2 पृ.सं. 76-78	परि. 3 पृ.सं.32
22	सार्वजनिक एनिकट ओडो की बाण	9013	30092	39105	परि. 2 पृ.सं. 79-80	परि. 3 पृ.सं. 33
	योग			515326		

3(ब) निम्नलिखित निर्माण कार्यों के भौतिक सत्यापन में मौके के माप एवं माप पुस्तिका में दर्ज माप में अन्तर नहीं पाया गयाः–

(1) भैरू जी के पास एनिकट मरम्मत कार्य, समेलियाँ पारि.-पृ.-84-86
(2) पणघटिया एनिकट, समेलिया पारि.-2-पृ 87-90
(3) एस.सी / एस.टी बस्ती, खरंजा निर्माण कार्य, दहेड़िया 34 पारि.2पृ.91-93)
(4) शिवजी के मन्दिर के नीचे मिट्टी निकालना, समेलिया 35 पारि 2 पृ. 94-95)

जांच निष्कर्ष एवं प्रस्तावित कार्रवाईः–

(1) जांच दल द्वारा ग्राम समेलिया में करवाये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन कर विस्तृत जांच की गई जांच के दौरान 22 निर्माण कार्यों में मौके पर उपलब्ध कार्य के माप एवं माप पुस्तिका में दर्ज माप में अन्तर पाया गया। माप पुस्तिका में दर्शाए गए माप गलत हैं एवं कार्यों के मूल्यांकन से स्पष्ट होता है कि कनिष्ठ अभियन्ता श्री शलभ टण्डन द्वारा बिना मौके की स्थिति को देखे माप पुस्तिका में इन्द्राज किए गए हैं। इन कार्यों को माप पुस्तिका में भुगतान हेतु मूल्यांकन राशि को पारित करने की कार्रवाई सरपंच एवं ग्राम सेवक द्वारा की गई है।

(2) माप पुस्तिका में दर्ज एवं मौके पर वास्तविक माप की अन्तर राशि रू. 5,15,326/– है।

(3) अधिक मूल्यांकन दर्शाकर राजकीय राशि का अनियमित एवं फर्जी भुगतान करने के लिए श्री शलभ टण्डन कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति भीम, श्री रतनलाल जैन, सरपंच ग्राम पंचायत समेलिया एवं श्री आस मोहम्मद अंसारी, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत समेलिया प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं। इनसे नियमानुसार राशि रूपये 5,15,326/– की वसूली करते हुए कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई किया जाना उचित होगा।

4 माप पुस्तिका में कार्यो के मूल्यांकन पश्चात् भुगतान योग्य दर्ज राशि एवं रोकड़ बही अनुसार किये गये भुगतान की राशि में अन्तर के कारण अधिक भुगतान राशि रूपये 6,31,810/–

वर्ष 2008–09 में ग्राम पंचायत समेलिया में नरेगा योजना अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यो के पूर्ण होने पर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मूल्यांकन करने पर माप पुस्तिका में दर्ज राशि से अधिक का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा गलत रूप से रोकड़ पुस्तिका में दर्शाकर इस राशि का गबन किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	निर्माण कार्य का विवरण	अधिक भुगतान राशि	वसूली राशि	रसीद संख्या	रोकड़ बही के पेज न. एवं दिनांक	सामग्री खरीद के बिलों की तथ्यात्मक रिपोर्ट (पपत्र–2–अ)	वसूली विवरण पत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हनुमानजी मन्दिर से मैन सडक तक रास्ता	1042	1050	9	16/ 18.11.2009	परि. 4 पृ.सं.	परि. 3 पृ.सं. 1
2	वन्नी में एनिकट निर्माण	12452	12452	1	16/ 18.11.2009	परि. 4 पृ.सं.	परि. 3 पृ.सं. 2
3	डूंडिया थेरी एनिकट निर्माण	11000	11000	11	27.12.2009	परि. 4 पृ.सं.	परि. 3 पृ.सं. 3
4	बेरवाला एनिकट निर्माण (पालरा)	60541	60541	12	27.12.2009	परि. 4 पृ.सं.	परि. 3 पृ.सं. 4
5	जोधाना एनिकट निर्माण	55621	48621	8	16/ 18.11.2009	परि. 4 पृ.सं.	परि. 3 पृ.सं. 5
6	केसरपुरा एनिकट निर्माण	14400	14400	13	27.12.2008	परि. 4 पृ.सं.	परि 3 पृ.सं. 6
7	पनघटिया एनिकट निर्माण	8500	8500	14	27.12.2008	परि. 4 पृ.सं.	परि. 3 पृ.सं. 7
8	मेघवंशी एनिकट निर्माण	12000	12000	15	27.12.2008	परि. 4 पृ.सं.	परि 3 पृ.सं. 8
9	भैरूजी के पास एनिकट निर्माण	60415	60415	16	27.12.2008	परि. 4 पृ.सं.	परि. 3 पृ.सं. 9
10	भीलों की जमीन पर एनिकट निर्माण	61544	61544	17	27.12.2008	परि. 4 पृ.सं.	परि. 3 पृ.सं. 10
11	ओडों की वाण नाडी से मिटटी निकालना	13872	39725	6	16/ 18.11.2009	परि. 4 पृ.सं.	परि 3 पृ.सं. 11
12	देवनारायण तलाई से मिटटी निकालना	16107	16253	5	16/ 18.11.2009	परि. 4 पृ.सं.	परि. 3 पृ.सं. 12

13	दहेडिया नहर निर्माण	9925	9925	18	27.12.2009	परि. 4 पृ.स.	परि. 3 पृ.सं. 13
14	देवनारायण चारागाह विकास कार्य	32	32	19	27.12.2009	परि. 4 पृ.सं.	परि. 3 पृ.सं. 14
15	तीतरी सडक से वाया चान्दातों का बा.	6096	8096	10	16/ 18.11.2009	परि. 4 पृ.सं.	परि. 3 पृ.सं. 15
16	कंकेडिया तालाब से चांदातो का बाडिया नहर निर्माण	141726	137726	2	16/ 18.11.2009	परि. 4 पृ.सं.	परि. 3 पृ.सं. 16
17	केसरपुरा गांव में रास्ता निर्माण व खुरंजा	28813	16813	7	16/ 18.11.2009	परि. 4 पृ.सं.	परि. 3 पृ.सं. 17
18	जैलिया तालाब गहरा करना	22467	22467	21	27.12.2009	परि. 4 पृ.सं.	परि. 3 पृ.सं. 18
19	लक्ष्मी सागर से मिट्टी निकालना	62857		24		परि. 4 पृ.सं.	परि. 3 पृ.सं. 19
20	ओडों की वाण दो चट्टानों के बीच एनिकट निर्माण	32400	27266		27.12.2009	परि. 4 पृ.सं.	परि. 3 पृ.सं. 20
21	भील बस्ती से खेराटा मैंन सड़क तक खरंजा निर्माण	0	51351	4	16/ 18.11.2009	परि. 4 पृ.सं.	परि. 3 पृ.सं. 21
22	भोपाल सागर नहर निर्माण	0	11633	3	16/ 18.11.2009	परि. 4 पृ.सं.	परि. 3 पृ.सं. 22
	योग :-	***631810***	***631810***				

वर्ष 2008–09 के 22 निर्माण कार्यो का कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मूल्यांकन कर माप पुस्तिका में दर्ज राशि एवं ग्राम पंचायत की रोकड़ बही से किए गए भुगतान की राशि की जांच एवं मिलान का कार्य किया गया। जांच कार्य के दौरान माप पुस्तिका में दर्ज मूल्यांकन राशि से अधिक राशि का भुगतान रोकड़ बही में किया जाकर राशि का गबन किया जाना पाया गया। यह राशि वर्ष 2008–09 में रू. 631810/–थी। इस राशि में से 18 नवम्बर 2009 को में रू0 343720/– की वसूली की गई एवं शेष राशि रू. 288090/– की वसूली दि. 27.12.2009 को की गई है। इस प्रकार सम्पूर्ण गबन राशि रूपये 6,31,810/– की वसूली कर ली गई है।

जांच निष्कर्ष एवं प्रस्तावित कार्रवाई:-

(1) वर्ष 2008-09 में ग्राम पंचायत समेलिया में नरेगा योजना अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों के पूर्ण होने पर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मूल्यांकन करने पर माप पुस्तिका में दर्ज राशि से अधिक राशि रू. 631810/- का भुगतान ग्राम पंचायत की रोकड़ बही के अनुसार सरपंच एवं ग्राम सेवक द्वारा अनियमित रूप से किया गया। इसमें से राशि रू. 3,43720/- दिनांक 18.11.2009 को राशि रू. 2,88,090/- दिनांक 27.12.2009 को वसूली की जा चुकी है।

(2) निर्माण कार्यों के लिए माप पुस्तिका में दर्ज भुगतान योग्य राशि से अधिक राशि का भुगतान दर्शाकर राशि का गबन करने के लिए श्री रतनलाल जैन, सरपंच, ग्राम पंचायत समेलिया एवं श्री आस मोहम्मद अंसारी, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत समेलिया उत्तरदायी हैं।

5 वर्ष 2009-10 में माप पुस्तिका में कार्यों के मूल्यांकन पश्चात् भुगतान योग्य दर्ज राशि एवं रोकड़ बही अनुसार भुगतान की गई राशि में अन्तर के कारण अनियमित अधिक भुगतान राशि रूपये 2,94,750/-

क्र.स.	निर्माण कार्य का विवरण	अधिक भुगतान राशि	वसूली राशि	रसीद संख्या	रोकड़ बही के पेज न. एवं दिनांक	सामग्री खरीद के बिलों की तथ्यात्मक रिपोर्ट (पपत्र-2-अ)	वसूली विवरण पत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भील बस्ती से खेराटा मैन सडक तक खुरंजा निर्माण	81351	0			परि. 4 पृ.सं.	परि. 3 पृ.सं. 23
2	चारागाह भूमि पर एनिकट निर्माण	87279	0			परि. 4 पृ.सं.	परि. 3 पृ.सं. 24
3	नदी में एनिकट निर्माण	80892	0			परि. 4 पृ.सं.	परि. 3 पृ.सं. 25
4	केसरपुरा चारागाह विकास कार्य	45238	0			परि. 4 पृ.सं.	परि. 3 पृ.सं. 26
	योग	294760	0				

जांच निष्कर्ष एवं प्रस्तावित कार्रवाई:-

(1) वर्ष 2009-10 में ग्राम पंचायत समेलिया द्वारा करवाये गये चार कार्यों का माप पुस्तिका में दर्ज माप/मूल्यांकन एवं रोकड़ बही अनुसार किये गये भुगतान की जांच की गई। जांच के दौरान माप पुस्तिका में कार्यों के मूल्यांकन पश्चात् भुगतान योग्य दर्ज राशि एवं रोकड़ बही अनुसार भुगतान की गई राशि में अन्तर सामने आया जिसके परिणामस्वरूप राशि रूपये 2,94,760/- का अनियमित भुगतान किया जाना पाया गया। इन चार कार्यों में से चारागाह भूमि पर एनिकट निर्माण को छोड़कर शेष तीन कार्य मौके पर पूर्ण हो चूके हैं, परन्तु इनका उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। इससे यह सम्भावना रह जाती है कि अनियमित रूप से किये गये अधिक भुगतान की राशि 2,94,750/- का समायोजन करने के प्रयास किये जा सकते हैं। अतः इन कार्यों के लिए अविलम्ब उपयोगिता

प्रमाण पत्र जारी करवाने एवं व्यय राशि के वास्तविक समायोजन की कार्रवाई करवाये जाने की आवश्यकता है।

(2) निर्माण कार्यों के लिए माप पुस्तिका में दर्ज भुगतान योग्य राशि से अधिक राशि का अनियमित भुगतान करने के लिए श्री रतनलाल जैन, सरपंच, ग्राम पंचायत समेलिया एवं श्री आस मोहम्मद अंसारी, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत समेलिया उत्तरदायी हैं।

(3) अधिक भुगतान की राशि रूपये 2,94,750/– की वसूली श्री रतन लाल जैन, सरपंच एवं श्री आस मोहम्मद अंसारी, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, से की जावे एवं राजकीय राशि के अनियमित भुगतान कर दुरूपयोग करने के लिए इनके विरूद्ध कार्रवाई की जावे।

6 मै० जय भैरूनाथ कृषि फार्म, पालरा के संदिग्ध बिल राशि रू. 3,08,700/– का विवरण

ग्राम पंचायत समेलिया में स्वीकृत निर्माण कार्यों पर फर्म जय भैरूनाथ कृषि फार्म पालरा द्वारा सामग्री सप्लाई की गई जिसका भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 27.12.09 तक नहीं किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क सं	बिल नम्बर	दिनांक	सामग्री	मात्रा(ट्रिप)	दर	राशि	कार्य का नाम
1	216	16.4.08	मिट्टी	22	500	11000	डूंडिया थोरी एनिकट
2	218	18.5.08	मिट्टी	14	500	7000	जोधाणा एनिकट
3	217	15.5.08	पत्थर	36	400	14400	केसरपुरा एनिकट
4	219	18.5.09	मिट्टी	24	500	12000	मेघवंशी एनिकट
5	222	15.6.08	गिट्टी	17	500	8500	पनघटिया एनिकट
6	231	25.8.08	गिट्टी रेती पत्थर	14 28 63	500 500 400	7000 14000 25200	भैरूजी के पास एनिकट
7		10.9.08	पत्थर रेती	318 35	400 500	47200 17500	भीलों की जमीन पर एनिकट
8	232	30.8.08	रेती गिट्टी	23 20	500 500	11500 10000	भोपालसागर नहर निर्माण
9	242	15.9.08	गिट्टी रेती	11 34	500 500	5500 17000	शमसान घाट की नाडी से मिट्टी निकालना
10	243	15.9.08	गिट्टी	6	500	3000	शमसान घाट की नाडी से मिट्टी निकालना
11	244	20.9.08	गिट्टी	3	500	1500	लक्ष्मीसागर तालाब से मिट्टी निकालना व पक्का डंडा
12	249	30.10.09	गिट्टी	20	500	10000	दहेड़िया नहर निर्माण
13	251	30.10.09	पत्थर	35	400	14000	केसरपुरा गांव में रास्ता व खरंजा निर्माण
14	252	30.10.08	पत्थर	100	400	40000	समेलिया से सादडाई रास्ता निर्माण
15	250	30.10.08	पत्थर	81	400	32400	
				कुल योग		308700	

उक्त फर्म के बारे में पूछताछ करने के लिए जांच दल ग्राम पालरा में गया। जांच के दौरान कुछ महिलाओं से पूछताछ करने पर उनके द्वारा ऐसी फर्म गांव में नहीं होना बताया गया। एस.सी.एस.टी. बस्ती मार्ग पर स्थित दुकानदार श्री अर्जुन सिंह रावत पुत्र श्री रामसिंह से पूछताछ की गई। श्री रावत के अनुसार ग्राम पालरा में जय भैरूनाथ कृषि फार्म नाम से कोई दुकान या फर्म नहीं है। इस प्रकार की फर्म से नरेगा में पत्थर, रेती, मिट्टी आदि की आपूर्ति करने से ग्राम वासियों द्वारा मना किया गया। ग्राम पालरा के श्री भंवरसिंह रावत पुत्र श्री रामसिंह , श्री सोहन सिंह पुत्र श्री धन्ना सिंह, श्री हजारी पुत्र श्री रामसिंह के बयान लिए गए (परिशिष्टः–5) इनका कहना था कि जय भैरूनाथ कृषि फार्म नाम से गांव में कोई दुकान या सप्लायर नहीं है।

जांच दल द्वारा पूरे गांव का भ्रमण किया गया परन्तु मै. जय भैरूनाथ कृषि फार्म नाम से कोई फर्म/दुकान नहीं मिली। इस फर्म का मालिक कौन है इसका भी पता नहीं चल सका।

इस फर्म के ग्राम पंचायत में 16.4.2008 से बिल बकाया है एवं अंतिम बिल दिनांक 30.10.2009 का है। 18 माह तक न तो ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किया गया है और न ही फर्म द्वारा भुगतान की मांग की गई।

फर्म का बिल नं. 249 दिनांक 30.10.2009 मिट्टी आपूर्ति राशि रू. 10,000/– दहेड़िया नहर निर्माण कार्य पर जारी किया गया है जबकि इस कार्य पर अक्टूबर, 2008 के बाद सामग्री प्राप्त नहीं हुई है एवं वर्ष 2008–09 में कार्य भी पूर्ण हो चुका है।

फर्म का बिल नं. 251 दिनांक 30.10.2009 पत्थर आपूर्ति राशि रू. 14,000/– केसरपुरा गांव में रास्ता एवं खरंजा निर्माण कार्य पर जारी किया गया है जबकि इस कार्य पर जनवरी, 2009 के बाद सामग्री प्राप्त नहीं हुई है एवं वर्ष 2008–09 में कार्य भी पूर्ण हो चुका है।

फर्म के बिल नं. 250 एवं 252 दिनांक 30.10.2008 को जारी किए गए है जकि बिल नं. 249 एवं 251 दिनांक 30.10.2009 को जारी किए गए हैं।

बिल नं. 222 दिनांक 15.6.2008 को जारी किया गया है जबकि बिल नं. 219 दिनांक 18.5.2008 को जारी किया गया है।

जांच निष्कर्षः–

मै0 जय भैरूनाथ कृषि फार्म, पालरा बिल में अंकित पते पर अस्तित्व में नहीं है। बिलों के अनुसार यह अपंजीकृत फर्म है। इसके द्वारा जारी किए गए बिल संदेहास्पद एवं फर्जी हैं। ग्राम पंचायत समेलिया के कार्यों की पत्रावलियों में लगे हुए उक्त 15 बिल जो कि दिनांक 16.04.2008 से 30.10.2009 की अवधि के है एवं जिनकी राशि रू. 3,08,700/– है, का भुगतान नहीं किया जावे एवं फर्जी बिल प्राप्त करने एवं पत्रावलियों में संधारित करने के कृत्य को राजकीय राशि गलत तरीके से आहरित करने का कुप्रयास मानकर आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

प्रस्तावित कार्रवाईः–

मै. जय भैरूनाथ कृषि फार्म पालरा के संदिग्ध 15 बिल राशि रूपये 3,08,700/– का भुगतान नहीं किया जावे।

7 अन्य अनियमितताएं:-

(1) स्टॉक रजिस्टर

ग्राम पंचायत द्वारा स्टॉक रजिस्टर का संधारण पंचायती राज नियम 1996 के नियम-239(1) व (2) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया जा रहा है। इस नियम के अनुसार सामान का लेखा प्रत्येक मद के लिए पृथक-पृथक रखा जाऐगा। सामान वास्तविक मांग-पत्र अनुसार जारी किया जाऐगा और सामान के निर्गम के लिए समुचित रसीद अभिप्राप्त की जायेगी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम के विवरीत कार्यवार सामग्री का स्टॉक रजिस्टर संधारित किया गया है। जबकि नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर सामग्रीवार संधारित किया जाना चाहिए। संधारित रजिस्टर से यह ज्ञात नहीं होता है कि ग्राम पंचायत के पास वर्तमान में सीमेन्ट, ग्रेवल, पत्थर, गिट्टी, रेती आदि का कितना स्टॉक है एव किस कार्य स्थल पर कितनी मात्रा में सामग्री उपलब्ध है। इससे बिना आवश्यकता सामग्री क्रय करने एवं एक कार्य स्थल से दूसरे कार्य स्थल पर निर्माण सामग्री हस्तान्तरण की स्थिति पैदा होती है। सरपंच द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार 1579 सीमेन्ट बैग्स राशि रू. 3.40 लाख एक कार्य स्थल से दूसरे कार्य स्थल पर हस्तान्तरित किए गए हैं। भारी मात्रा में ग्रेवल, पत्थर, रेती का हस्तान्तरण किया गया है जिसका अनुमानित मूल्य रू. 9.00 लाख से अधिक है। (परिशिष्ट:-6) इतनी भारी मात्रा में निर्माण सामग्री हस्तान्तरण करने की कार्यवाही का कोई कारण एवं औचित्य नहीं है। उचित रिकार्ड के अभाव में निर्माण सामग्री के हस्तान्तरण करने से इसके दुरूपयोग होने एवं राजकीय धन की हानि की पूर्ण संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

ग्राम पंचायत समेलिया की जिला कलेक्टर राजसमन्द द्वारा जांच करवाकर जांच रिपोर्ट क्रमांक 4714-15 दिनांक 20.12.2009 आयुक्त ई.जी.एस. को प्रस्तुत की गई है। जिसमें स्टॉक रजिस्टर संधारण में पाई गई गड़बड़ी के कारण सीमेन्ट के 2688 स्टॉक में नहीं पाये गये। जिला कलेक्टर की रिपोर्ट के अनुसार कार्यों पर सामग्री क्रय एवं वास्तविक उपयोग में भारी अन्तर पाया गया एवं इस अन्तर के परिणामस्वरूप राशि रूपये 19,59,864/- वसूली योग्य बताई गई है।(परिशिष्ट:-7) जांच दल द्वारा समयाभाव के कारण जिला कलेक्टर की रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों की विस्तृत जांच नहीं की जा सकी। स्टॉक रजिस्टर में दर्ज सामग्री, स्टॉक उपलब्ध सामग्री एवं विभिन्न कार्य स्थलों पर सामग्री के आपस में हस्तान्तरण के सम्बन्ध में विस्तृत जांच एवं तथ्यों का सत्यापन करवाने की आवश्यकता है ताकि निर्माण सामग्री के स्टॉक में उपलब्धता, हस्तान्तरण से होने वाले सम्भावित दुरूपयोग एवं राजकीय धन की हानि को बचाया जा सके।

जांच निष्कर्ष:-

1. ग्राम पंचायत द्वारा स्टॉक रजिस्टर संधारण में अनियिमतता की जा रही है जिसके कारण निर्माण सामग्री के दुरूपयोग की पूर्ण सम्भावना है।

2. जिला कलेक्टर राजसमन्द की जांच रिपोर्ट दिनांक 20.12.2009 के अनुसार निर्माण सामग्री के उपयोग एवं स्टॉक की विस्तृत जांच करवाई जावे।

(2) अपंजीकृत फर्मो से सामग्री क्रय करना एवं वैट नहीं काटना–

ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ 4 (32) आरडी/ आरई / एनआरईजीपी/ ग्रुप–3 / 07–08 दिनांक 18.06.2007, क्रमांक एफ 2 (22) आर.डी./ नरेगा/ 06–07 दिनांक 16.02.2009 एवं क्रमांक एफ 2 (64) ग्रा.वि. / नरेगा / 09 दिनांक 27.07.2009 द्वारा अनरजिस्टर्ड फर्मों से सामग्री क्रय नहीं करने तथा सामग्री क्रय पक्के बिलों पर जिसमें टिन नम्बर उपलब्ध हो से ही करने के निर्देश जारी किये गये थे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर द्वारा परिपत्र कमांक– एफ 2(64)आरडी/नरेगा/09–10 दिनांक 10.11.09 द्वारा समस्त जिला कलेक्टर, जिला परिषदों, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया गया है कि :-

(1) ऐसे कार्य जिनका निर्माण दिनांक 31.08.09 से पूर्व पूर्ण हो चुका हो एवं नियमानुसार सामग्री क्रय की जाकर उपयोग किया जा चुका है, परन्तु सामग्री बिलों का भुगतान इस कारण नहीं हुआ है कि सामग्री की खरीद रजिस्टर्ड फर्म/विक्रेता (RST/CST/TIN holder) से नहीं की गई है, ऐसे प्रकरणों में यह सुनिश्चित करके कि सामग्री बिल अनुसार पूर्ण मात्रा एवं गुणवत्ता अनुरूप वास्तविक रूप से प्राप्त की गई है एवं निर्माण कार्यो में उपयोग ली गई है, भुगतान की कार्यवाही की जावे। ऐसे बिलों के संबंध में यह कार्यवाही सुनिश्चित करने के उपरांत सामग्री के बिल ग्राम सेवक, सरपंच एवं संबंधित तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियंता प्रमाणित करके बिल को भुगतान हेतु संबंधित पंचायत समिति में प्रस्तुत कर, नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावे।

(2) ऐसे कार्य जिन पर निर्माण सामग्री दिनांक 31.08.09 से पूर्व अनरजिस्टर्ड फर्म से क्रय करके उपयोग में लाई जा चुकी है एवं निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुए है एवं कार्य की पार्ट यू.सी. प्राप्त हो चुकी है, उनके साथ संलग्न सामग्री बिलों को भी बिन्दु संख्या--1 में अंकित प्रक्रिया अपनाते हुए प्रमाणित कर पंचायत समिति को प्रेषित किया जावे।

(3) उक्त प्रमाणिकरण के पश्चात् पंचायत समिति में प्राप्त सामग्री बिलों का भुगतान संबंधित फर्म को पंचायत समिति द्वारा अकाउंट पेयी चैक (account payee cheque) के माध्यम से किया जायेगा। भुगतान करते समय बिल की राशि के अनुरूप देय कर की राशि (VAT) की कटौती निर्धारित कर दर, जो कि वाणिज्यिक कर विभाग की वैब साईट (rajtax.gov.in) पर उपलब्ध है, से की जाकर विभागीय बजट मद–0040 में जमा करायी जायेगी एवं इसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के वाणिज्यिक कर अधिकारी को कर राशि जमा कराने के सात दिवस में आवश्यक रूप से देनी होगी।

उक्त कार्यवाही केवल उन कार्यों के संबंध में की जानी है, जिन पर सामग्री दिनांक 31.08.09 तक क्रय करके काम में ली जा चुकी है। इसके पश्चात् कोई भी

साभग्री की खरीद रजिस्टर्ड फर्म/विक्रेता (RST/CST/TIN holder) से ही की जायेगी।

(अ) ग्राम पंचायत समेलिया ने दिनांक 31.8.09 के बाद अपंजीकृत फर्मो(बिना टिन नम्बर) से निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय कर रू. 3,39,400/-- का भुगतान किया गया है:-

क. सं.	फर्म का नाम	बिल नम्बर	दिनांक	सामग्री	मात्रा (ट्रिप)	दर	राशि
1.	बजरंग कृषि फार्म समेलिया	552	15.09.09	पत्थर	88	400	35200
2	बजरंग कृषि फार्म समेलिया	553	15.09.09	पत्थर	44	400	17600
3	बजरंग कृषि फार्म समेलिया	558	25.10.09	पत्थर	113	400	45200
4	बजरंग कृषि फार्म समेलिया	551	15.09.09	रेती	30	500	15000
5	बजरंग कृषि फार्म समेलिया	552	15.9.09	रेती	40	500	20000
6	बजरंग कृषि फार्म समेलिया	553	15.09.09	रेती	40	500	20000
7	बजरंग कृषि फार्म समेलिया	558	25.10.09	रेती	56	500	28000
8	देवनारायण कृषि फार्म समेलिया	138	15.09.09	पत्थर	23	400	13200
9	देवनारायण कृषि फार्म समेलिया	190	18.10.09	पत्थर	26	400	10400
10	देवनारायण कृषि फार्म समेलिया	138	15.09.09	पत्थर	23	400	13200
11	देवनारायण कृषि फार्म समेलिया	135	30.11.09	ग्रेवल	209	200	41800
12	देवनारायण कृषि फार्म समेलिया	147	30.11.09	ग्रेवल	250	200	50000
13	देवनारायण कृषि फार्म समेलिया	138	15.09.09	रेती	32	500	16000
14	देवनारायण कृषि फार्म समेलिया	190	18.10.09	रेती	30	500	15000
15	देव कृषि फार्म	08	15.10.09	ग्रेवल	60	200	12000
योग							339400

(ब) **अपंजीकृत फर्मो से निर्माण सामग्री क्रय करना:-**

ग्राम पंचायत, समेलिया क्षेत्र में स्थित 4 फर्म जिनके द्वारा नरेगा कार्यो के लिए साभग्री आपूर्ति एवं परिवहन का कार्य किया जा रहा है, का भौतिक सत्यापन किया गया। इन चार फर्मो द्वारा आपूर्ति की गई निर्माण सामग्री यथा ग्रेवल, पत्थर, रेती, मिट्टी आदि के लिए ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान की गई राशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	फर्म का नाम	वर्ष 2008-09 में भुगतान की गई राशि	वर्ष 2009-10 में भुगतान की गई राशि
1	तेजाजी महाराज, कृषि फार्म, समेलिया	1,35,750/-	-
2	बजरंग कृषि फार्म, समेलिया	11,64,800/-	8,47,800/--
3	देवनारायण कृषि फार्म, तीतरी	6,06,850/-	7,21,000/--
4	चावण्डा बिल्डिंग मैटेरियल, तीतरी	1,50,150/-	1,45,000/--

उक्त चारों फर्म इनके मालिकों द्वारा अपने घर से संचालित की जा रही हैं। ये चारों फर्म अपंजीकृत हैं एवं इनके पास टिन नम्बर नहीं है। इनके पास अपने ट्रेक्टर, ट्रोली एवं टेंकर हैं जिनसे ग्रेवल, रेती, पत्थर, गिट्टी, पानी आदि की आपूर्ति की जाती है। मैसर्स देवनारायण कृषि फार्म एवं चावण्डा बिल्डिंग मैटेरियल के एक-एक ट्रेक्टर द्वारा दिनांक 27.12.09 को मौका निरीक्षण के समय नरेगा कार्य स्थल पर ग्रेवल सप्लाई की जा रही थी।(परिशिष्टः- प्र.1-4)

(स) मै. बालाजी एजेन्सी, भीम (TIN-08701256851) से वर्ष 2008–09 में 5283 बैग सीमेन्ट राशि रू. 10.83 लाख क्रय की गई एवं वर्ष 2009–10 में 5538 बैग सीमेन्ट राशि रू. 11.73 लाख क्रय की गई। बिलों पर टिन प्रिन्टेड नहीं है केवल सील लगाई गई है, बिल पर नम्बर हस्तलिखित है। फर्म द्वारा जारी कुछ बिल नम्बर एवं दिनांक कमवार नहीं है। मैसर्स बालाजी एजेन्सी, भीम से क्रय की गई सीमेन्ट का बिलवार पूर्ण विवरण वाणिज्यिक कर विभाग को भिजवाकर वेट वसूली की आवश्यक कार्रवाई करवाया जाना आवश्यक है।

जांच निष्कर्ष:–

1. ग्राम पंचायत द्वारा राज्य सरकार के निर्देशों की अवहेलना में निर्माण सामग्री क्रय एवं भुगतान की कार्रवाई की है इसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

2. ग्राम पंचायत समेलिया द्वारा नरेगा योजना में क्रय की गई निर्माण सामग्री एवं आपूर्तिकर्ता फर्मों का पूर्ण विवरण वाणिज्यिक कर विभाग को भिजवाया जाकर एवं वेट वसूली की कार्रवाई की जानी चाहिए है।

(3) निर्माण सामग्री कय बिलों में कांट–छांट कर अनियमितता करना:–

ग्राम पंचायत समेलिया द्वारा क्रय की गई निर्माण सामग्री के बिलों में कांट–छांट कर अनियमितता की गई है। मूल बिल में अंकित राशि, सामग्री की मात्रा एवं बिल जारी करने की दिनांक में कांट–छांट की गई है इस कृत्य के कारण ग्राम पंचायत से बिलों का गलत/ अधिक भुगतान होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, इस प्रकार के बिलों का विवरण निम्नानुसार है :–

क सं	बिल नम्बर	दिनांक	राशि	फर्म का नाम	विवरण
1	140	20.8.08	39500	देवनारायण कृषि फार्म समेलिया	बिल की दिनांक में कांट छांट की गई है।
2	254	6.6.08	28200	देवनारायण कृषि फार्म समेलिया	बिल में अंकित सामग्री की मात्रा में कांट छांट
3	274	25.8.08	30000	देवनारायण कृषि फार्म समेलिया	बिल की दिनांक में कांट छांट
4	323	7.2.09	12000	देवनारायण कृषि फार्म समेलिया	बिल में अंकित सामग्री की मात्रा में कांट छांट
5	269	15.10.08	80650	देवनारायण कृषि फार्म समेलिया	बिल में अंकित सामग्री की मात्रा में कांट छांट
6	261	19.6.08	17000	देवनारायण कृषि फार्म समेलिया	बिल की दिनांक में कांट छांट
7	262	15.11.09	30000	देवनारायण कृषि फार्म समेलिया	बिल की दिनांक में कांट छांट
9	5	18.8.08	13700	दाणा बावा कृषि फार्म	बिल में अंकित सामग्री की मात्रा में

Page 14 of 22

					कांट छांट
10	4	18.6.08	20000	दाणा बाबा कृषि फार्म	बिल की दिनांक में कांट छांट
11	259	23.6.08	60800	बजरंग कृषि फार्म	बिल की सामग्री मात्रा में कांट छांट
12	261	20.8.08	30250	बजरंग कृषि फार्म	बिल की सामग्री मात्रा में कांट छांट
13	265	25.10.08	74000	बजरंग कृषि फार्म	बिल की दिनांक में कांट छांट
14	12	1.6.08	10050	बजरंग कृषि फार्म	बिल की दिनांक में कांट छांट
15	266	25.8.08	40250	बजरंग कृषि फार्म	बिल की राशि में कांट छांट रू. 40250/– के स्थान रू0 43575/– का भुगतान किया
16	238	28.6.08	48700	बजरंग कृषि फार्म	बिल की सामग्री मात्रा में कांट छांट
17	291	20.6.08	92600	बजरंग कृषि फार्म	बिल की राशि एव दिनांक में कांट छांट
18	231	16.6.08	37825	बजरंग कृषि फार्म	हॉल ब्लास्टिक संख्या 90 में कटिंग कर 145 किया गया।
19	264	20.8.08	64000	बजरंग कृषि फार्म	बिल की सामग्री मात्रा में कांट छांट
20	4 ए	16.8.09	30750	बालाजी एजेन्सी भीम	बिल नम्बर व दिनांक में कांट छांट
21	3 ए	30.6.08	41000	बालाजी एजेन्सी भीम	बिल की राशि व दिनांक में कांट छांट
22	209	16.5.08	49610 390	बालाजी एजेन्सी भीम	दिनांक में कांट छांट
23	228	15.5.08	50000	बालाजी एजेन्सी भीम	बिल में अंकित मात्रा व राशि में कांट छांट
24	29	30.6.08	41820	बालाजी एजेन्सी भीम	बिल की दिनांक में कांट छांट

जांच निष्कर्षः–

ग्राम पंचायत द्वारा सामग्री क्रय के बिल ऐसे प्राप्त कर भुगतान किया गया है जिनमें बिल की दिनांक, सामग्री की मात्रा, राशि आदि में कांट–छांट की गई है। इस प्रकार के बिलों के कारण गलत/अधिक भुगतान होने की सम्भावना रहती है। अतः सरपंच एवं ग्राम सेवक को सही बिल प्राप्त कर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देशित किया जाना चाहिए।

(4) माप पुस्तिका–

श्री शलभ टण्डन, कनि. अभियंता,पंचायत समिति भीम के पास ग्राम पंचायत समेलिया के नरेगा कार्यों के लिए 7 माप पुस्तिकाएं हैं, इनका विवरण इस प्रकार हैः–

क्र. सं.	एम बी नम्बर	एमबी पर अंकित जारी करने की दिनांक	जारीकर्ता	विशेष विवरण
1.	एन–8	16.04.2008	विकास अधिकारी, भीम	पंचायत समिति के एम.बी. जारी करने वाले रजिस्टर में यह एम बी दि. 23.4.08 को जारी की गई है जबकि ग्राम पंचायत में एम बी प्राप्ति दिनांक 16.4.08 है। एम बी पर बी डी ओ के हस्ताक्षर नहीं है।
2.	एन.एस.–1	01.06.2008	सरपंच,ग्राम पंचायत समेलिया	ग्राम पंचायत ने यह एमबी जारी की है। ग्राम पंचायत. के स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज है परन्तु पंचायत समिति इसका रिकॉर्ड नहीं है। एकमात्र एम.बी.ग्राम पंचायत द्वारा जारी की गई है।
3.	एन.–34	01.07.2008	विकास अधिकारी, भीम	यह एम बी पंचायत समिति के स्टॉक रजिस्टर अनुसार ग्राम पंचायत बार को जारी की गई है।

				बीडीओ के स्थान पर कनिष्ठ अभियंता श्री टण्डन के हस्ताक्षर है। यह एम बी ग्राम पंचायत में दिनांक 16.4.08 को प्राप्त होना दर्शाया गया है। पंचायत समिति के रजिस्टर में कनि.अभियंता द्वारा दिनांक 16.4.08 को प्राप्ति पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
4.	एन–56	13.08.2008	कार्यक्रम अधिकारी, नरेगा पंचायत समिति भीम	
5.	एन.आर–16	16.04.2009	कार्यक्रम अधिकारी, नरेगा पंचायत समिति भीम	
6.	एन.आर–7	16.04.2009	कार्यक्रम अधिकारी, नरेगा पंचायत समिति भीम	
7.	एन.आर–84	15.12.09	कार्यक्रम अधिकारी, नरेगा पंचायत समिति भीम	प्राप्तकर्ता जेटीओ। ग्राम पंचायत समेलिया में प्राप्ति की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं है।

माप पुस्तिका कमांक एन–08 पंचायत समिति, भीम द्वारा दिनांक 23.04.2008 को जारी की गई जबकि ग्राम पंचायत समेलिया को यह माप पुस्तिका 7 दिन पहिले ही अर्थात 16.04.2008 को ही प्राप्त हो गई। पंचायत समिति भीम के रिकार्ड अनुसार माप पुस्तिका कमांक एन–34 ग्राम पंचायत बार को दिनांक 01.07.2008 को जारी की गई जबकि यह माप पुस्तिका ग्राम पंचायत समेलिया के रिकार्ड में दिनांक 16.04.2008 को प्राप्त होना दर्शाया गया है एवं उपयोग में ली जा रही है। इन दोनों माप पुस्तिकाओं पर विकास अधिकारी पंचायत समिति भीम के हस्ताक्षर भी नहीं हैं।(परिशिष्ट:–9 पृ. 1-7)

माप पुस्तिका एन एस–01 ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 01.06.2008 को जारी की गई है। 7 में से 6 माप पुस्तिकाएं पंचायत समिति,भीम द्वारा जारी की गई हैं जबकि माप पुस्तिका एन एस –01 ग्राम पंचायत समेलिया में जारी की है एवं पंचायत समिति भीम में इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा माप पुस्तिका जारी करने का कोई कारण भी स्टॉक रजिस्टर में नहीं दर्ज किया गया।(परिशिष्ट:–10 पृ. 1-10)

ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2004 के पैरा 14.2 अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में विकास अधिकारी, पंचायत समिति द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत को माप पुस्तिका जारी की जायेगी। माप पुस्तिका पर क्रमबद्ध नम्बर अंकित किया जाना आवश्यक होगा तथा विकास अधिकारी के हस्ताक्षर से उसका प्रमाणिकरण करना अनिवार्य होगा। पंचायत समिति स्तर पर माप पुस्तिकाऐं जारी करने का रिकार्ड रजिस्टर में संधारित किया जायेगा।

ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2004 के प्रावधानों के उल्लघन में माप पुस्तिका जैसे आधारभूत एवं महत्वपूर्ण अभिलेख को इस प्रकार जारी करवाकर उपयोग में लेना संदेहास्पद हैं एवं इसके दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

एम बी के अनुसार मूल्यांकन एवं इसके पश्चात कैशबुक के अनुसार भुगतान में भारी अन्तर है। यह अन्तर राशि वर्ष 2008–09 में रु. 6,31,810/– है एवं वर्ष 2009–10 में केवल 4 कार्यों की जांच करने में यह अन्तर राशि रू 2,94,760/– सामने आयी है। वर्ष 2008–09 की अन्तर राशि रू. 3,43,720/– 18 नवम्बर 2009 को एवं रू. 2,88,090/– 27 दिसम्बर 2009 को श्री रतनलाल जैन, सरपंच/श्री आस मोहम्मद अंसारी, सचिव, ग्राम पंचायत समेलिया द्वारा राजकोष में जमा करवाई गई है। इससे स्पष्ट है कि माप पुस्तिका एवं रोकड़ बही संधारण में अनियमित इन्द्राज कर राजकीय धन का दुरूपयोग किया जाना प्रतीत होता है।

जांच निष्कर्षः–

1. ग्राम पंचायत समेलिया के कार्यों के लिए उपयोग में ली जा रही तीन माप पुस्तिकाऐं एन 8, एन एस 1, एन 34 राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित प्रावधानों के विपरीत जारी की गई है। अनियमित रूप से माप पुस्तिका जारी करवाने एवं उपयोग में लेने के लिए उत्तरदायी कार्मिक/जनसेवक के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
2. अनियमित रूप से माप पुस्तिका जारी करवाने एवं उपयोग में लेने के लिए श्री शलभ टण्डन, कनिष्ठ अभियंता, पंचायत समिति, भीम उत्तरदायी हैं।
3. अनियमित रूप से माप पुस्तिका जारी करने के लिए श्री रतन लाल जैन, सरपंच ग्राम पंचायत समेलिया एवं श्री आस मोहम्मद अंसारी, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत समेलिया उत्तरदायी हैं।

(5) कार्य स्थल पर सूचना पट्टः–

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4(16) ग्रा. वि/ग्रारो/नरेगा/06 दिनांक 27.03.08, के बिन्दु संख्या 7.3.1, आदेश क्रमांक एफ 4(16) ग्रा.वि नरेगा/06 दिनांक 14.11.08, आदेश क्रमांक एफ 4(5) आ.डी /नरेगा/2009–10 दिनांक 30.09.09, के द्वारा नरेगा कार्य स्थलों पर पूर्ण विवरण सहित सूचना पट्ट लगाने के निर्देश जारी किए गए है।

जांच के दौरान पाया गया कि राज्य सरकार के आदेशों की पूर्ण अनुपालना नहीं की जा रही है। अधिकांश कार्य स्थलों पर सूचना पट्ट नहीं लगे हुए हैं। जांच अवधि में कुल 38 कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया जिनमें केवल 11 कार्य स्थलों पर सूचना पट्ट, (लोहे के/दीवार पर लिखित) पाए गए। शेष 27 स्थानों पर सूचना पट्ट नहीं लगे हुए थे।

(6) बिना निविदा प्रकिया के सामग्री कय किया जाना :–

ग्राम पंचायत समेलिया द्वारा वर्ष 2008–09 में निर्माण सामग्री कय हेतु दिनांक 17.04.2008 को एवं वर्ष 2009–10 में निर्माण सामग्री कय हेतु दिनांक 25.04.2009 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में निविदा का प्रकाशन करवाया गया। निविदा प्रकाशन में निम्नलिखित अनियमितताएं की गई :–

(i) वर्ष 2008–09 में निविदा आमंत्रित करने की समय सीमा 23 दिन रखी गई जबकि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग 2 के नियम 41 के अनुसार एक माह की अवधि रखी जानी चाहिए थी।
(ii) विज्ञापन में सामग्री का नामवाईज सामग्री मात्रा व अनुमानित मूल्य अंकित करना चाहिए था। ग्राम पंचायत द्वारा केवल सामग्री का नाम ही अंकित किया गया है।
(iii) वर्ष 2009–10 में सामग्री क्रय हेतु दिनांक 25.04.09 को दैनिक भास्कर में निविदा का प्रकाशन करवाया गया जिसमें सामग्री क्रय की अवधि वर्ष 2008–09 अंकित थी। ग्राम पंचायत ने अपनी भूल सुधार हेतु समाचार पत्र में संशोधन जारी नहीं करवाया।
(iv) ग्राम पंचायत ने वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2009–10 में सामग्री क्रय करने हेतु क्रय समिति का गठन नहीं कर पंचायती राज नियम,1996 के नियम–186 का उल्लंघन किया है।

ग्राम पंचायत के रिकार्ड अनुसार वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में एक भी निविदा प्राप्त नहीं हुई है।

जांच टिप्पणी:–

ग्राम पंचायत ने निविदा आमंत्रित करने की कार्रवाई को गम्भीरता से नहीं लिया। इसके कारण निविदाएं प्राप्त नहीं हुई एवं बाजार मूल्य की प्रतिस्पर्धात्मक दरों का फायदा नहीं मिला। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में कुल रूपये 87.00 लाख की निर्माण सामग्री यथा सीमेन्ट, पत्थर, ग्रेवल, रेती आदि का क्रय किया गया। इस संबंध में जिला परिषद राजसमन्द एवं पंचायत समिति भीम के नियंत्रक अधिकारियों द्वारा भी ध्यान नहीं दिया गया।

(7) ग्राम पंचायत समेलिया, पंचायत समिति भीम में नरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों का अधिकारियों द्वारा निरीक्षण नहीं किया जाना :–

प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के परिपत्र क्रमांक– एफ 4(42)ग्रा.वि/आर.ई/नरेगा/ग्रुप–III/06–07 दिनांक 22.03.2007 के निर्देशानुसार नरेगा के कार्यों का जिले के संबंधित अधिकारियों द्वारा गहन निरीक्षण मापदण्डों के अनुसार समय–समय पर किया जाना चाहिए। निरीक्षण प्रतिवेदन अगले उच्चाधिकारी को निरीक्षण अवधि के पश्चात 2 दिन के अन्दर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रत्येक नियंत्रक अधिकारी के कार्यालय में इन निरीक्षण प्रतिवेदनों का रिकार्ड रखा जाएगा। कमियां निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित की जाएगी जिनको दूर करने हेतु प्रभावी कदम उठाने का उत्तरदायित्व नियंत्रक अधिकारी का होगा।

उक्त परिपत्र द्वारा निरीक्षण के मानदण्ड निम्नानुसार निर्धारित हैं:--

क्र. सं.	निरीक्षण करने वाले अधिकारी का पदनाम	प्रतिमाह कार्यों के न्यूनतम निरीक्षण की संख्या	निरीक्षण रिपोर्ट जिसे प्रस्तुत की जानी है
1	2	3	4
1.	जिला कलेक्टर (जिला कार्यक्रम समन्वयक)	10 कार्य (प्रत्येक पंचायत समिति में 3 कार्य)	प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पंचायती राज
2.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक)	12 कार्य (प्रत्येक पंचायत समिति में 4 कार्य)	प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पंचायती राज प्रतिलिपि जिला कलेक्टर को
3.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	15 कार्य (प्रत्येक पंचायत समिति में 4 कार्य)	जिला कलेक्टर
4.	अधिशाषी अभियंता, नरेगा	30 कार्य	जिला कलेक्टर
5.	विकास अधिकारी	15 कार्य	कार्यक्रम अधिकारी
6.	अधिशाषी अभियंता (eng.)	15 कार्य (प्रत्येक पंचायत समिति में 3 कार्य)	मुख्य कार्यकारी, जिला परिषद
7.	अधिशाषी अभियंता (LR.)	15 कार्य (प्रत्येक पंचायत समिति में 3 कार्य)	मुख्य कार्यकारी, जिला परिषद
8.	सहायक अभियंता (पंचायत समिति)	20 कार्य	कार्यक्रम अधिकारी
9.	तकनीकी सहायक (कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय)	30 कार्य	कार्यक्रम अधिकारी
10	कनिष्ठ अभियंता	अपने क्षेत्र के प्रत्येक कार्य स्थल का 15 दिवस में एक बार विस्तृत तकनीकी एवं प्रशासनिक निरीक्षण	कार्यक्रम अधिकारी

विस्तृत जांच के दौरान सामने आया कि ग्राम पंचायत समेलिया के नरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्य का अवधि 01.04.2008 से 23.12.2009 तक जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक नरेगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक नरेगा,अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, जिला परिषद राजसमन्द द्वारा कभी भी निरीक्षण नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भीम एवं कार्यक्रम अधिकारी नरेगा, पंचायत समिति, भीम ने भी इस अवधि में नरेगा कार्यों का निरीक्षण नहीं किया। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार निरीक्षण नहीं करने के कारण नरेगा कार्यों में गम्भीर अनियमितता की गई एवं अनियमित रूप से भुगतान कर दिए गए।

श्री शलभ टण्डन, कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति भीम द्वारा भी नरेगा कार्यों का समय समय पर निरीक्षण नहीं किया गया एवं निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यक्रम अधिकारी नरेगा/विकास अधिकारी पंचायत समिति भीम को प्रस्तुत नहीं किया गया। कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा केवल निर्माण कार्यों का मूल्यांकन माप पुस्तिका में अंकित किया गया है। निर्माण कार्यों के भौतिक सत्यापन के दौरान वास्तविक निर्माण कार्य के माप एवं एम बी में दर्ज माप में भारी अन्तर पाया गया।

जांच के निष्कर्षः–

1. ग्राम पंचायत का राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार निरीक्षण नहीं करने के कारण राजकीय धन की हानि एवं अनियमित कार्रवाई हुई है इसके लिए पर्यवेक्षणीय लापरवाही के लिए पंचायत समिति में दिनांक 01.04.2008 से 30.11.2009 तक पदस्थापित रहे कार्यक्रम अधिकारी, नरेगा, पंचायत समिति, भीम एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति, भीम उत्तरदायी हैं।
2. ग्राम पंचायत क्षेत्र में करवाये गए कार्यों का समय–समय पर निरीक्षण नहीं करने एवं कार्यों के माप के संबंध में हुई अनियमितताओं के लिए दिनांक 01.04.2008 से 30.11.2009 तक पदस्थापित रहे सहायक अभियन्ता, पंचायत समिति, भीम, अधिशाषी अभियन्ता, नरेगा, जिला परिषद, राजसमन्द उत्तरदायी हैं।
3. दिनांक 01.04.2008 से 30.11.2009 तक पदस्थापित रहे जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला परिषद, राजसमन्द नियंत्रक अधिकारी के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं क्योंकि इनके द्वारा ग्राम पंचायत का कोई निरीक्षण नहीं किया गया एवं इस ग्राम पंचायत के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी अधिकारियों से भी समय–समय पर ग्राम पंचायत में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रभावी मॉनीटरिंग नहीं करवायी गई।

(8)(अ) ग्राम पंचायत द्वारा तकनीकी विश्लेषण करवाये बिना एनिकट निर्माण करवाकर निष्फल व्यय करनाः–

(i) पणगटिया पुलिया का एनिकट समेलिया– अनुमानित लागत 3.00 लाख

इस एनिकट की डाउनस्ट्रीम में लगभग 500 मीटर आगे सिंचाई विभाग का मुख्य सड़क पुलिया के नीचे एनिकट बनवाया हुआ है। इसके लगभग 200 मीटर पहले रास्ता है जिसकी पुलिया का निर्माण "काशियों की हथाई से एक पणिया तक पुलिया एवं रास्ता निर्माण " कार्य के अन्तर्गत करवाया जा रहा है एवं इस पुलिया से लगभग 200 मीटर पहले "भैंरू के पास एनिकट " बना हुआ है।

(ii) नाली के नीचे एनिकट निर्माण दहेड़िया– अनुमानित लागत 4.30 लाख

इस एनिकट की डाउनस्ट्रीम में लगभग 150 मीटर आगे एक एनिकट अन्य योजना में बना हुआ है एवं इससे पहले मुख्य सड़क पर नाले के उपर पुलिया निर्मित है। यह इस एनिकट से लगभग 100 मीटर दूर है। पुलिया एवं दूसरे एनिकट के मध्य की दूरी लगभग 250 मीटर है और इनके बीच एक नया एनिकट बनाने का औचित्य स्पष्ट नहीं होता है।

(iii) मेघवंशी एनिकट निर्माण, दहेड़िया– अनुमानित लागत 4.30 लाख

इस एनिकट की डाउनस्ट्रीम में लगभग 200 मीटर आगे सड़क पर पुलिया बनी हुई है एवं इस पुलिया के बंध से पानी रूकता है ऐसी स्थिति में कंकेडिया तालाब एवं पुलिया के बीच इस एनिकट की आवश्यकता का विश्लेषण किए बिना कार्य करवाया गया।

(iv) **सार्वजनिक एनिकट निर्माण, ओडों की वाण– अनुमानित लागत 5.46 लाख**

इस एनिकट से लगभग 200 मीटर डाउनस्ट्रीम में एक एनिकट पहले ही बना हुआ है। एक बस्ती के लिए रास्ता बनाने के लिए एनिकट बनाना एवं सड़क के बराबर चौड़ाई को दीवार उठाने का कोई औचित्य नहीं था, इसके स्थान पर पुलिया निर्माण करवाना उचित एवं मितव्ययतापूर्ण कार्य होता।

(v) **जेलिया तालाब गहरा कराना, दहेड़िया–अनुमानित लागत 4.98 लाख**

इस तालाब के पार्श्व में सिंचाई विभाग द्वारा बंध बनाकर बड़ा तालाब बनाया हुआ है, इसका शेष पानी रोकने के लिए जेलिया तालाब गहरा कराने एवं इसके लिए दीवार निर्माण करने की आवश्यकता नहीं थी।

(vi) **शमसान घाट की नाडी से मिट्टी निकालना व पक्का डण्डा बनवाना, समेलिया– अनुमानित लागत 4.98 लाख**

इस कार्य से लगभग 300 मीटर आगे काटियाला एनिकट बनाया गया है एवं 50 मीटर पीछे सिंचाई विभाग द्वारा बनाया गया एनिकट है। ऐसी स्थिति में शमसान के पास पानी रोककर नाडी बनाने का औचित्य स्पष्ट नहीं होता है। कार्य में मिट्टी की खुदाई भी दीवार की डाउनस्ट्रीम में की गई है इसका भी औचित्य स्पष्ट नहीं होता है।

उक्त 6 कार्यों का मौके पर निरीक्षण करने से यह स्पष्ट होता है कि बहुत कम दूरी पर एक से अधिक एनिकट बनाये गये है एवं एनिकट बनाने से पूर्व इनकी आवश्यकता का तकनीकी विश्लेषण नहीं किया गया है। इस प्रकार के एनिकट निर्माण पर किया गया व्यय निष्फल व्यय की श्रेणी में माना जाकर राज्य सरकार के स्तर पर नीतिगत निर्णय करवाये जाने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में एनिकट निर्माण पर किये जाने वाले व्यय का लाभार्थियों को अधिकतम फायदा हो सके।

(ब) कार्यों के तकमीने बिना मौके देखे बनाए गए हैं। एनिकट जैसे कार्यों की पूर्ण डिजाइन नहीं की गई है। वर्तमान में निर्मित एनिकटों में सबसे महत्वपूर्ण कमी यह है कि अप्रेन की चौडाई आवश्यक मापदण्डों की तुलना में काफी कम है। सामान्यतः 1.5 मीटर उंचे एनिकट के लिए अप्रेन की चौडाई लगभग 2.5 मीटर होनी चाहिए जबकि मौके पर 1.2 मीटर है। यद्यपि भुगतान 1.2 मीटर चौडाई के हिसाब से ही किया गया है परन्तु यह सुरक्षित नहीं हैं। वर्तमान में निर्मित प्रत्येक एनिकट को सुरक्षित करने के लिए इस क्रम में आवश्यक कदम उठाए जाने अति आवश्यक है अन्यथा अधिक वर्षा की स्थिति में सम्पूर्ण एनिकट क्षतिग्रस्त हो जाएंगे।

8 **ग्राम पंचायत, समेलिया में नरेगा योजनान्तर्गत करवाये गये कार्य जिनका जाचं दल द्वारा केवल भौतिक सत्यापन किया गया**

निम्नलिखित कार्यो का समयाभाव के कारण जांच दल द्वारा माप पुस्तिका में दर्ज माप अनुसार एवं वास्तविक माप अनुसार जांच नहीं की जा सकी। मौके पर जाकर केवल कार्यो का भौतिक सत्यापन किया गया एवं कार्य मौके पर पाए गएः–

1. शमसान घाट तलाई से मिट्टी निकालना, पालरा
2. सादड़ाई गांव से समेलिया बाडिया तक रास्ता निर्माण

3. देवनारायण चारागाह विकास कार्य
4. काशियों की हथाई से एक पणिया तक पुलिया एवं रास्ता निर्माण (कार्य प्रगति पर है)
5. केसरपुरा चारागाह विकास कार्य, केसरपुरा
6. कंकेडिया तालाब से चांदातों का बाड़िया नहर का कार्य
7. चारागाह भूमि में एनिकट निर्माण (कार्य प्रगति पर है)
8. एस.सी./एस.टी. बस्ती खरंजा
9. उपला बाड़िया जंगल में एनिकट निर्माण (कार्य प्रगति पर है)

(महेन्द्र सिंह भूकर)
संयुक्त निदेशक,
निदेशालय सामाजिक अंकेक्षण

(मुकेश माहेश्वरी)
अधिशाषी अभियंता
ई.जी.एस.

(एम.एल. कुमावत)
क.लेखाकार
निदेशालय सामाजिक अंकेक्षण